

(समाचार पत्र में प्रकाशन बावत)

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड राजगढ , अलवर

Email: eerajgarh.alw.pwd@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- 374


दिनांक:- 12/5/26

निविदा सूचना संख्या 02/2026-27

Bids for Addl. Road Repair Programme work are invited from interested bidder up to 01.06.2026 06.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the Procurement Portal (<https://eproc.rajasthan.gov.in>, <https://sppp.raj.nic.>) of the state and <https://pwd.rajasthan.gov.in> departmental website. The approximate value of the procurement is Rs. 225.76/- Lakh.

UBN 1. PWD2627W50B021982.PWD2627W50B02199

3. PWD2627W50B02200


अधिशाषी अभियन्ता
साठनिविड खण्ड राजगढ (अलवर)
Email Id- pwd_raj@rediffmail.com

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड राजगढ , अलवर

Email: eerajgarh.alw.pwd@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- 374


दिनांक:- 12/5/26

निविदा सूचना संख्या 02/2026-27

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से वर्ष 2025-26 के निम्नलिखित भवन/सडक निर्माण कार्य हेतु केन्द्रीय/ राज्य सरकार व उनके अधिकृत संगठनों/ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग/ रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदको, जो कि राजस्थान सरकार के "एए" एवं "ए", श्रेणी के संवेदको के समकक्ष हो एवं उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया हेतु ऑन लाईन निविदाये आमन्त्रित की जाती है।

मुख्यालय का नाम	कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड राजगढ (अलवर) (ID :5622)
निविदा में कार्य की संख्या	3 (225.76 लाख)
कुल धरोहर राशि (रूपये में)	निविदा दाता द्वारा दिनांक 31.12.2021 के पश्चात् निविदा ऑनलाईन कि जाती है तो निविदा दाता द्वारा निविदा की अनुमानत लागत का 2 प्रतिशत राशि (सार्वजनिक निर्माण विभाग में पंजीकृत संवेदको को नियमानुसार छुट राशि प्रदान की जावेगी।) लोक निर्माण कार्य जमा बजट मद 8443-00-108-00-00 के पक्ष में राजस्थान सरकार वित्त (जीएण्डटी) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 6(5) वित्त/साविलेनि/2018 जयपुर दिनांक 27.04.2020 के अनुसार आनलाईन ई-ग्रास के द्वारा एकल चालन से सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. कार्यालय के पक्ष में जमा करनी होगी। निविदा शुल्क/आर.आई.एस. एल. फीस/ लोक निर्माण कार्य जमा राशि केवल आनलाईन ई-ग्रास द्वारा एकल चालान से ही जमा कि जायेगी। अलग-2 चालान द्वारा जमा राशी स्वीकार योग्य नहीं है। ईग्रास पर भुगतान होने उपरान्त चालान सीआईएन के साथ जनरेट कर ईप्रोक साईट पर अपलोड करना होगा। कार्यालय में निविदा शुल्क राशी, लोक निर्माण कार्य जमा एवं आर. आई.एस.एल. फीस के लिए भौतिक रूप से कोई राशी/डी.डी. स्वीकार नहीं कि जायेगी।
निविदा आवेदन अपलोड करने की तारीख	14.05.2026 प्रातः 09:30 बजे से दिनांक 01.06.2026 सायं 6:00 बजे तक
निविदा जमा करने की तारीख	14.05.2026 प्रातः 09:30 बजे से दिनांक 01.06.2026 सायं 6:00 बजे तक
निविदा की कुल लागत	225.76 लाख
निविदा खोलने की तारीख	02.06.2026 अपरान्ह 3:00 बजे
प्रोसेसिंग शुल्क निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि जमा कराने की प्रक्रिया (ऑनलाईन ई-ग्रास के माध्यम से)	वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र प 6(5)/वित्त/सा.नि.वि./2018 दिनांक 27.04.2020 के ई ग्रास पर ऑनलाईन के माध्यम से चालान द्वारा (परिपत्र संलग्न) 1 प्रोसेसिंग शुल्क - 8658-00-102-(16)-02 निर्माण विभाग 2.निविदा शुल्क - 0075-00-800-52-01 3 धरोहर राशि - 8443-00-108-00-00 दिनांक 01.06.2026 सायं: 6:00 बजे तक
UBN No	1.PWD2627WS0B02198 2.PWD2627WS0B02199 3.PWD2627WS0B02200

निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाईट "www.dipronline.org" व विभाग की वेबसाईट "www.eproc.rajasthan.gov.in" एवं www.sppp.raj.nic.inपर देखा जा सकता है।


(महीलाल मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा0नि0वि0 खण्ड राजगढ (अलवर)
Email Id- pwd_raj@rediffmail.com
Mob. 8209895225

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड राजगढ, अलवर
Email: eerajgarh.alw.pwd@rajasthan.gov.in

दिनांक:- 12/5/26

क्रमांक:- 374

श्रीमान निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- निविदा सूचना संख्या 02/2026-27 के प्रकाशन बाबत:

महोदय,

उपरोक्त-विषयान्तर्गत इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा प्रकाशन हेतु प्रोफार्मा भिजवाकर निवेदन है कि इसका प्रकाशन नियमानुसार एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र एवं एक क्षेत्रीय समाचार पत्र में जो निविदा विज्ञापित करने में विशिष्टता रखता हो, में केवल एक बार कम से कम स्थान पर इनका प्रकाशन कराने का श्रम करें। विस्तृत निविदा की सोफ्ट प्रति डी.आई.पी.आर की वेब साईट पर प्रकाशन हेतु भिजवायी जा रही है।

प्रकाशन के बिलो की प्रतियाँ भुगतान हेतु इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करें।
संलग्न-उपरोक्तानुसार



(महीलाल मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा0नि0वि0 खण्ड राजगढ (अलवर)
Email Id- pwd_raj@rediffmail.com
Mob. 8209895225
Phone No. 01464-294809

क्रमांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि, जोन-द्वितीय, जयपुर।
3. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत्त अलवर
4. अधिशाषी अभियन्ता सा0 नि0 वि0 खण्ड अलवर/किशनगढवास/बहरोड/कठूमर/रामगढ/
एनसीआरपीबी खण्ड अलवर
5. सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड राजगढ/रैणी को भेजकर लेख है कि
<http://eproc.rajasthan.gov.in> व <http://sppp.raj.nic.in> पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
6. सहायक अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक/वरि0 खण्डीय लेखाधिकारी/कैशियर कार्यालय हाजा
7. नोटिस बोर्ड / ठेकेदार संघ, अलवर/ अंकेक्षक समस्त


अधिशाषी अभियन्ता
सा0नि0वि0 खण्ड राजगढ (अलवर)

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड राजगढ , अलवर

Email: eerajgarh.alw.pwd@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- 374

दिनांक:- 12/5/26

निविदा सूचना संख्या 02/2026-27

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से वर्ष 2026-27 के निम्नलिखित भवन/सडक निर्माण कार्य हेतु केन्द्रीय/राज्य सरकार व उनके अधिकृत संगठनो/ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/ डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदको, जो कि राजस्थान सरकार के "एए" एवं "ए", श्रेणी के संवेदको के समकक्ष हो एवं उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु ऑन लाईन निविदाये आमंत्रित की जाती है।

क.स	कार्य का नाम	BOQ/G Schudle Amt (lacs)	GST 18% Amt (lacs)	Estimate Total work Amt./ NIT Amt. (Lacs)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ई ग्रास बनाने हेतु कार्यालय का नाम/ ऑफिस आईडी
1	2	3	4	5	6	7
1	Special repair work on Thathra to Nangal Sohan road via Khohra Km. 0/0 to 6/0 Km. 6.00 VR	114.52	20.61	135.13	5 माह	अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि.खण्ड राजगढ (अलवर) ऑफिस आईडी 5622
2	Special repair work on Reni Kilpurkhera road to Hatoj Km. 0/0 to 1/700 Km. 1.70 VR	38.02	6.85	44.87	3 माह	अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि.खण्ड राजगढ (अलवर) ऑफिस आईडी 5622
3	Special repair work on NH-921 to Ghatwasan mata old temple road doroli km. 0/0 to 1/800 Km. 1.80	38.78	6.98	45.76	3 माह	अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि.खण्ड राजगढ (अलवर) ऑफिस आईडी 5622
	Total	191.32	34.44	225.76		

1. निविदा प्रपत्र को इन्टरनेट साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से दिनांक 14.05.2026 प्रातः 09:30 बजे से दिनांक 01.06.2026 सायं 6:00 बजे तक डाउनलोड (Download) कर सकते है। इस निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा कराये।

(अ) निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 01.06.2026 को सायं 06.00 तक जमा कराये जा सकते है एवं प्राप्त निविदायें इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर कॉलम संख्या 7 में वर्णित कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधी के समक्ष दिनांक 02.06.2026 को दोपहर: 03:00 बजे खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उसी दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जावेगी। निविदा जमा कराने/निविदा खोले जाने/निविदा शुल्क इत्यादि जमा किया जाना अर्थात निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।

(ब) उक्त कार्यो की दोष निवारण अवधि श्रीमान मुख्य अभियन्ता एवं अति० सचिव के परिपत्र दिनांक 28.03.2025 (राजकाज संख्या नं. 12921520) एवं Corrigendum no SE (R)/EEGGP-II/Circular/2025-26/D-950 Date 11-07-2025 के अनुसार उक्त कार्यो में दोष निवारण अवधि से समाप्ति तिथि से 5 वर्ष/नियमानुसार होगी।

- a) The DLP shall be ten years for RoBs/Major Bridges/Flyovers and approaches.
- (b) The DLP for Standalone CC road projects shall be ten years. (as per CE PWD Rajasthan Jaipur Rajkaj No. 17290790 Date 21-08-2025 (corrigendum-1) The DLP for standalone CC road projects having Thickness up to 200mm will be 5 years, and the projects having thickness more than 200mm will be ten years.
- (c) For Centrally sponsored Schemes viz. CRIF, PMGSY etc the DLP provisions will apply in accordance with the Standard Bidding Documents for the corresponding schemes.
- (d) Provided further that the security deposit proportionate to the works at (a) & (b) shall be refunded only after completion of DLP of 10 years. For bituminous approaches to structures, the riding quality shall be maintained as per IRC guidelines during DLP.
- (e) In Addition to above for other types of works the DLP period will be 5 years as per office order issued from CE & AS PWD Rajasthan Jaipur Vide No.SE (R)/EE-GGP-II/DLP/20-21/D-95 dated 06.01.2021.

2. निविदा प्रपत्र को वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> & <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र में निविदाकर्ता के लिए योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राईंग विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित है। निविदादाता इन प्रपत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं।

3. निविदा प्रपत्र के साथ उपरोक्त सारणी में दर्शाया गया निविदा शुल्क विभागीय राजस्व मद 0075-00-800-52-01 में एवं आर.आई.एस.एल. फिस मैनेजिंग डायरेक्टर आर.आई.एस.एल. के बजट मद 8658-00-102-16-02 निर्माण विभाग के पक्ष में राजस्थान सरकार वित्त (जीएण्डटी) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 6(5) वित्त/साविलेनि/2018 जयपुर दिनांक 27.04.2020 के अनुसार आनलाईन ई-ग्रास के द्वारा एकल चालान से सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड राजगढ़ अलवर कार्यालय (उपरोक्त सारणी के कॉलम संख्या 6) के पक्ष में जमा करनी होगी। निविदा शुल्क/धरोहर राशि केवल ऑनलाईन ई-ग्रास द्वारा एकल चालान से ही जमा कि जायेगी। अलग-अलग चालान द्वारा जमा राशि स्वीकार योग्य नहीं है। ईग्रास पर भुगतान होने उपरान्त चालान सी.आई.एन. के साथ जनरेट कर ईप्रोक साईट पर अपलोड करना होगा।

4. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। आ.पी.डब्ल्यू ए-100 की समस्त शर्तें मान्य होगी।

5. ई-टेण्डरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश :-

(अ) इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्र को इन्टरनेट वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर सकते हैं। निविदादाता द्वारा धरोहर राशि विभागीय मद 8443-00-108-00-00 एवं निविदा शुल्क विभागीय राजस्व मद 0075-00-800-52-01 में राजस्थान सरकार वित्त (जीएण्डटी) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 6(5) वित्त/साविलेनि/2018 जयपुर दिनांक 27.04.2020 के अनुसार आनलाईन ई-ग्रास के द्वारा सम्बन्धित कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक है।

(ब) लोक निर्माण कार्य जमा बजट मद 8443-00-108-00-00 के पक्ष में राजस्थान सरकार वित्त (जीएण्डटी) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 6(5) वित्त/साविलेनि/2018 जयपुर दिनांक 27.04.2020 के अनुसार आनलाईन ई-ग्रास के द्वारा एकल चालान से सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. कार्यालय के पक्ष में जमा करनी होगी। निविदा

शुल्क/आर.आई.एस. एल. फीस/ लोक निर्माण कार्य जमा राशि केवल आनलाईन ई-ग्रास द्वारा एकल चालान से ही जमा कि जायेगी। अलग-2 चालान द्वारा जमा राशी स्वीकार योग्य नहीं है। ईग्रास पर भुगतान होने उपरान्त चालान सी.आई.एन. के साथ जनरेट कर ईप्रोक साईट पर अपलोड करना होगा। कार्यालय में निविदा शुल्क राशी, लोक निर्माण कार्य जमा एवं आर.आई.एस.एल. फीस के लिए भौतिक रूप से कोई राशी/डी.डी. स्वीकार नहीं कि जायेगी।

(स) निविदाओं में भाग लेने वाले निविदाताओं को इन्टरनेट वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजीटल सर्टिफिकेट इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट-2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजीटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी (NIC or TCS or Safecrypt or M/s Applitechtendercity. com (India) Pvt. Ltd.) से प्राप्त कर सकते हैं। जिस निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजीटल सर्टिफिकेट है, नया डिजीटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

6. मुख्य अभियंता (पथ) एवं अति० सचिव सा.नि.वि राज० जयपुर के पत्र क्रमांक अ.मु.अ (प्ला.)/अ.अ. एस.एस एण्ड सी/परिपत्र/2021-22/डी-21 दिनांक 07.03.2022 की अनुपालना में अनुबंध में मध्यस्थता का क्लॉज विलोपित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा संवेदक से किये जाने वाले अनुबंध के संबंध में विवाद होने की स्थिति में वाणिज्यिक न्यायालय/सक्षम सिविल न्यायालय के निर्णय मान्य होंगे।

7. वित्त (वित्तीय नियम) विभाग द्वारा RTPP Rules 2013 के नियम 75 में संशोधन संबंधित नोटिफिकेशन दिनांक 28.08.2025 लागू होगा जिसके तहत संवेदकों की 50 प्रतिशत परफॉर्मेन्स सिक्योरिटी कार्य संतोषजनक पूर्ण होने व अन्तिम बिल पास होने के उपरान्त लौटाई जावेगी एवं शेष 50 प्रतिशत परफॉर्मेन्स सिक्योरिटी राशि डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के पश्चात लौटायी जावेगी(प्रति संलग्न)

8. वित्त विभाग (जीएण्डटी) के Order No. F.8(10)FD/SPFC/Misc/2022 dated-27-01-2023 के अनुसार निविदा शुल्क के अतिरिक्त देय होगी। जो कि वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के 0आदेश क्रमांक पं. 6(5) वित्त/सा.वि.ले.नि./2018 जयपुर दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल 0पर ई-निविदाओं के प्रेषण के लिए एक ही चालान से बजट मद 8658-00-102-(16)-(02) (निर्माण वि०भाग) में जमा कराया जाना आवश्यक होगा। निविदा प्रोसेसिंग शुल्क निम्नानुसार है

(अ) निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है:-

कार्य की अनुमानित लागत राशि रू. (लाखों में)	निविदा शुल्क
50/- लाख तक	500/- रुपये
50/-लाख से अधिक एवं 150/- लाख तक	1000/- रुपये
150/- लाख से अधिक एवं 400/- लाख तक	2000/- रुपये
400/- लाख से अधिक	5000/- रुपये

(ब) निविदा RISL शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है:-

कार्य की अनुमानित लागत राशि रू. (लाखों में)	निविदा शुल्क
50/- लाख तक	500/- रुपये
50/-लाख से अधिक एवं 100/- लाख तक	1500/- रुपये
100/- लाख से अधिक एवं 500/- लाख तक	2000/- रुपये
500/- लाख से अधिक	2500/- रुपये

लोक निर्माण वित्तीय लेखा नियम भाग द्वितीय परिशिष्ट XVI के अनुसार VII के अन्तर्गत एवं मुख्य अभियन्ता सा0 नि0 वि0 राजस्थान जयपुर के पत्रांक F.3.15(c) Enlistment Rues/अनु-3/डी-2028 दिनांक 14.12.2021 एवं डी-2062 दिनांक 16.12.2021 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प. 3(2)वित्त/साविलेनि/2020 जयपुर दिनांक 03.04.2025 के अनुसार स्थायी पंजीयन संवेदको द्वारा लागू नियमानुसार पंजीयन का पुरावलोकन करने का दस्तावेज निविदा के साथ जमा कराना आवश्यक होगा, अन्यथा पंजीयन नियम अनुच्छेद VII.3.vi के तहत ऐसे निविदाताओं की निविदा को आयोग्य (Non Responsive) माना जावेगा।

राजस्थान लोक उपायन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 व सार्वजनिक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम एवं विभागीय नियमावली में समय समय पर किये गये संशोधन लागू रहेंगे। आ.पी.डब्ल्यू.ए-100 एवं निविदा की स्पेशल कंडीशन की समस्त शर्तें मान्य होगी।

9. (अ) निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजीटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजीटल साईन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (ब) ऑनलाईन निविदायें निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त कम संख्या 1 (अ) के अनुसार खोली जायेगी।
- (स) इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्र को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लें कि निविदा प्रपत्र से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्र के साथ अटैच कर दी गयी है।
- (द) कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिकी जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
- (य) टेंडर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें। निविदा सूचना इन्टरनेट साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in>, www.dipronline.org व <http://sppp.raj.nic.in> पर भी उपलब्ध है। अन्य विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।
- (र) निविदा खोलने की दिनांक से 50 दिवसों तक निविदा स्वीकृत हेतु मान्य रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी घोषणा राशि जब्त कर ली जावेगी।
- (ल) कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाईमिटी पिरीयड) का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता पश्चात नियमानुसार रहेगी।

10- RTPP RULES 75 A के अनुसार अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा जारी RTPP RULES 75 A के अतिरिक्त असंतुलन बोली मामले में सफल बोलीदाता से असंतुलित बोली की 50 प्रतिशत के बराबर ली जावेगी। अनुबंध निष्पादन से पहले सफल बोलीदाता द्वारा एक मुश्त जमा कराना होगा क्योंकि ई ग्रास बैंक

ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक सरकारी जमाये या बैंक गारन्टी के रूप में जमा कराई जायेगी। स्पष्टीकरण इस नियम के प्रयोजनार्थ :-

1. असंतुलित बोली का अर्थ है कि पन्द्रह प्रतिशत से कम की कोई भी बोली अनुमानित बोली मूल से।
2. अनुमानित बोली मूल्य का अर्थ है खरीद की विषय वस्तु का मूल्य जो कि Procuring Entity द्वारा बोली दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है। (निविदा में)
3. असंतुलित बोली राशि का अर्थ है कि पिछ्यासी प्रतिशत का सकारात्मक अंतर, अनुमानित बोली मूल्य घटाकर बोली लगाने वाले द्वारा बोली गई बोली राशि।

इस संदर्भ में वित्त विभाग के जारी नोटिफिकेशन दिनांक 22.10.2021 के अनुसार संशोधित नियम 75 A के अंग्रेजी वर्जन प्रभावी रहेगा। अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा राशि संवेदक के कार्य के संतोषप्रद ढंग से पूर्ण करने के पश्चात् लौटा दी जावेगी। अतिरिक्त निष्पादन राशि कार्य समयावधि के भीतर पूर्ण नहीं करने की स्थिति में उपायन संस्था द्वारा राशि जब्त कर ली जावेगी।

(महीलाल मीना)
अधिशायी अभियन्ता
सा0नि0वि0 खण्ड राजगढ (अलवर)
Email Id- pwd_raj@rediffmail.com
Mob. 8209895225